F.2.14.3AE.BUD.SAMA.18

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र.प. 3/III-A/निर्वा/सामा–2018/1218 जयपुर, दिनांक 31.03.2022

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :– आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2022–23 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– वित्त विभाग के परिपत्र सं. प.4(48)वित्त–1(1)आ.व्यय/2021 दिनांक 29.03.2022 एवं प.4(1)वित्त–1(1)आ.व्य/2022 दिनांक 31.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2022 से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत सुगम समेकित (Consolidated) Pool बजट प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। जिसके माध्यम से बजट नियन्त्रण अधिकारी के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा बिल बनाने पर बिल की राशि समेकित Pool में से आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी। बजट नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन/पुर्नवितरित की आवश्यकता नहीं होगी। अतः इसके अन्तर्गत Pool बजट के अन्तर्गत होने वाले संवेतन, मजदूरी, पेंशन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, जल/विद्युत/टेलीफोन बिल एवं किराया दर तथा रॉयल्टी के अतिरिक्त अन्य सभी विस्तृत मद (Object Head) में मुख्यालय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

वित्त विभाग के सन्दर्भित परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों/निर्देशों के अनुरूप ही बजट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त सन्दर्भित परिपत्र वित्त विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भवदीया,

(अनुपमा शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
राजस्थान जयपुर